

सेवा में,

6/7/2021 (33)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 6/7/2021



श्री अजय कुमार सिंह द्वारा गया जिलान्तर्गत बैरिया मौजा के प्लॉट संख्या—40, 42, खाता संख्या—48, थाना संख्या—536, थाना—वजीरगंज में गया—नवादा—सिकंदरा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.015 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

आपका पत्रांक 487, दिनांक 15.06.2021

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/46947/2020/4556, दिनांक 26.02.2021 द्वारा दो भागों में (A में 1—6 शर्त एवं B में 1—10 शर्त) सैद्धांतिक स्वीकृति दी गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the Stae Forest Department.

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 7,52,635.00 मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219946947356, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 22.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-SBINR52021062229520932 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.015 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 6.26 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 9,390.00 बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA A/c No. 1506219946947356, Union Bank of India, New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 22.06.2021 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.-SBINR52021062229520932 है, जो Ministry website पर प्रदर्शित है। (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, New Delhi के खाता में दिनांक 22.06.2021 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, गया द्वारा निर्गत FRA-2006 प्रमाण—पत्र पूर्व में उपलब्ध करा दी गयी है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry ds Website- <http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage - II approval:

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा।
2. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

Ajay Kumar Singh

अजय कुमार सिंह,
ग्राम-बैरिया, पोस्ट-सहिया,
थाना-वाजीरगंज, जिला-गया,
पिन-805131

AGENCY COPY

यूनियन बैंक
संघ इंडिया



Union Bank
of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-06-2021

Agency Name.	AJAY KUMAR SINGH
Application No.	19946947356
MoEF/SG File No.	FP/BR/OTHERS/46947/2020
Location.	BIHAR
Address.	Village-Bairiya, PO-Sahiya, PS-Wazirganj, Dist.- GayaGaya
Amount(in Rs)	762025/-

Amount in Words :Seven Lakh Sixty-Two Thousand and
Twenty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA ✓
IFSC Code:	UBIN0903710 ✓
Pay to Account No.	1506219946947356 ✓ Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003



This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through ch.
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
Email: cb0371@unionbankofindia.com

M/s Aadarsh Construction

Safar Kumar Singh
Managing Partner

UTR NO: -

SBINR5202106222520932

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, गया के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA, 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या.....1574..... दिनांक...19/05/2021...

वन प्रमण्डल पदाधिकारी का पत्र सं० 4061 दिनांक 10.10.2020 द्वारा गया जिला अन्तर्गत मौजा- बैरिया, थाना- वजीरगंज, खाता सं०- 48, प्लॉट सं०- 40, 42 में गया-वजीरगंज-हिसुआ-नवादा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु 0.015 हेक्टर भूमि पर अपयोजन (Diversion) के क्रम में अनुशंसा किया गया है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर गया का पत्र सं 345 दिनांक 06.03.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपर्युक्त वर्णित परियोजना क्षेत्र में मौजा- बैरिया, थाना- वजीरगंज, खाता सं०- 48, प्लॉट सं०- 40, 42 में गया-वजीरगंज-हिसुआ-नवादा पथ के किनारे BPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन भूमि (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत 0.015 हेक्टर भूमि पर वर्ष 2001 एवं 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति नहीं है।

प्राप्त अनुशंसा एवं जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक 13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गांवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।


जिला पदाधिकारी
गया ।

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011.


District Magistrate
Gaya .